A-

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान

आई.ए.एस

अपील संख्या 72/2019

1. विद्याधर पुत्र गणपत जाति जांगिड़ निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. रामनिवास पुत्र गणपत जाति जांगिड़ निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3. ओमप्रकाश पुत्र गणपत जाति जांगिड़ निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4. जगदीश पुत्र गणपत जाति जांगिड़ निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार नवलगढ़ आदेश दिनांक 29.07.2019 उनवानी सरकार बनाम विद्याधर मु0न0 10/2018 अ0धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थित–

1. श्री विजयपाल –एडवोकेट– अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 17.08.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ़ के निर्णय दिनांक 29.07.2019 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. तथा स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है।

अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है :– अदालत मातहत ने अपीलान्टस को जमीन खसरा नम्बर 580 रकबा 0.10 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता सरहद मौजा जाखल में से 400 वर्गगज मीटर भूमि पर अतिकमी घोषित कर बेदखल करने व 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 29.07.2019 को पारित किया। अदालत मातहत ने अपीलान्टस के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट पर ऐतराज प्रस्तुत करने

का अवसर नहीं दिया गया। प्रकरण में अदालत मातहत के यहां तारीख पेशी 11.02.2019 तय थी। उक्त पेशी के रोज अदालत मातहत ने गिरदावर हल्का से रिपोर्ट लेने के आदेश पारित किये और अपीलान्टस व अधिवक्ता को यह कहा गया कि रिपोर्ट आने पर सूचित कर बुलावेगें तथा आगामी पेशी तय नहीं की गई। इसके बाद कांट छांट कर मनमर्जी से आदेशिका दर्ज कर अपीलान्टस व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में 29.07.2019 को निर्णय पारित कर दिया। आदेशिकाओं में अंकित तारीखों में कांट छांट है। निर्णय जैर बहस में उपस्थित व अनुपस्थिति के बाबत कोई तथ्य दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्टस को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बेदखली घोषित कर मु.न. 12/2017 निर्णय दिनांक 20.11.2017 के द्वारा बेदखल करने के आदेश पारित किये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील उनवानी विद्याधर बनाम राजस्थान सरकार मु.न. 18/2018 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 16.05.2018 के द्वारा स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 20.11.2017 को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। निर्णय के आधार स्पष्ट नहीं है। अपीलान्टस के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलान्टस जमीन खसरा नम्बर 580 पर काबिज नहीं है। तथाकथित नपति रिपोर्ट एकपक्षीय है। जमीन हाल खसरा नम्बर 580 मौके पर अस्तित्व में नहीं है। अदालत मातहत ने इस बाबत गिरदावर हल्का को रिपोर्ट करने हेतु दिनांक 26.03.2019 को पत्र जारी किया और यह रिपोर्ट चाही कि " वर्तमान में रास्ते की स्थिति क्या है? " उक्त स्थिति को बिना स्पष्ट कराये ही निर्णय जैर बहस पारित कर आदलत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। जमीन खसरा नम्बर 580 गैर मुमकीन रास्ता की अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 577 के आगे पीछे क्या स्थिति है, स्पष्ट नहीं है। वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 580 मौके पर अस्तित्व में नहीं है और उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा भी अन्य व्यक्तियों का है तथा उक्त रास्ता नक्शासीट में भी गत नक्शा सीट के मुताबिक दर्ज नहीं है। इस बात को अदालत मातहत ने स्वयं ने भी अपने निर्णय में स्वीकार किया है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उत्पन्न हुआ। अपीलान्टस ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया था, जिसका निस्तारण कानून से समरी प्रोसिडिंग के द्वारा किया जाना असंभव है। अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 577 में से पुख्ता सड़क गुजरती है। खसरा नम्बर 580 उपयोग में नहीं है। खसरा नम्बर 580 की गत नक्शासीट व हाल नक्शा सीट में स्थिति भिन्न भिन्न है। तथाकथित नपति अपीलान्टस की अनुपस्थिति में हुई है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजुद रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 एवं 15.04.2019 तथा एक अन्य रिपोर्ट जिस पर दिनांक अंकित नहीं है, वे विरोधाभाषी है। नक्शा सीट में अंकित खसरा नम्बर 580 की जमीन पर कब्जा अपीलान्टस का नहीं है। पटवारी व गिरदावर हल्का ने नाप सही नहीं किया है। फर्द नपति रिकार्ड पर नहीं है। तथाकथित नपति का आधार क्या रहा दर्ज नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की एक पक्षीय रिपोर्टस को सही मानने में कानूनी गलती की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की है तथा जमीन हाल खसरा नम्बर 577 में से मौके पर सड़क होना बताया है व खसरा नम्बर 580 का अस्तित्व नहीं होना बताया है। खसरा नम्बर 580 की गत नक्शासीट व हाल नक्शा सीट में स्थिति भिन्न भिन्न है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजुद रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 एवं 15.04.2019 तथा एक अन्य रिपोर्ट जिस पर दिनांक अंकित

A-2

नहीं है, वे विरोधाभाषी है। अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.07.2019 को खारीज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्टस द्वारा ग्राम जाखल स्थित भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकिन है जो राजकीय भूमि है, जिसपर अपीलान्टस का कब्जा वैध नहीं माना जा सकता तथा इस का कब्जा हटाया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत द्वारा विधिवत् सुनवाई के बाद आदेश पारित किया है जो नियमानुसार व सही है। अपीलान्ट द्वारा अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली से संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्टस के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है उसमें केवल इस बिन्दु पर ही ध्यान दिया है कि अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता है, जबकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की जांच करनी चाहिए थी। 1. मौके पर अतिक्रमि/खातेदार की भूमि का रकबा पूर्ण है या नहीं। 2. खसरा नम्बर 577 में स्थित डामरीकरण सड़क में उक्त खातेदारों के कितने रकबे की भूमि शामिल है या उक्त सड़क का रकबा खातेदारों के रकबे से अलग है या नहीं। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 29.07.2019 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है 1. अदालत मातहत मौके की पुनः नपती एक टीम गठित कर सभी खातेदारों की मौजूदगी में करें। 2. यह सुनिश्चित करें की काश्तकारों का रिकार्ड के अनुसार मौके पर रकबा पूर्ण है या नहीं। उक्त डामरीकरण सड़क के रकबे को ध्यान में रखते हुये पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किया जाना आवश्यक नहीं है।

रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू